सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 /2018

... पुत्र कासम जाति भिश्ति मुसलमान निवासी जूनियां तह. केकडी जिला अजमेर (राज.)

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी

----अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय दिनांक 9.5.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प जूनियां में पेश हुई। वादी प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम जूनियां तहसील केकडी की के जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 407,408,409 में दर्ज में प्रार्थी का नाम शहनाज मोजुददीन पुत्र कासम दर्ज है। प्रार्थी शहनाज के स्थान पर शहजाद दर्ज किया जावे का निवेदन किया है।**

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम **ग्राम जूनिया** जमाबन्दी संवत **2073-2076 के खाता संख्या 407,408,409** में **शहनाज** दर्ज है। प्रार्थी का आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, तस्दीक राशनकार्ड संरपच के अनुसार प्रार्थीया **शहनाज** के स्थान पर **शहजाद** किया जाने की सहमति दी है। साथ ही भू. अभि.निरीक्षक रिपोर्ट में भी ग्राम जाल का खेडा में खाता संख्या **407,408,409 में प्रार्थी शहनाज के स्थान पर शहजाद** की घोषणा किया जाना उचित बताया है।

अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का जूनियां की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि **ग्राम जूनिया** जमाबन्दी संवत **2073-2076 के खाता संख्या 407,408,409 में दर्ज में प्रार्थी शहनाज के स्थान पर शहजाद** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **शहनाज** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी **शहनाज** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **शहनाज** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 9.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प जूनियां में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी